



सत्यमेव जयते

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY  
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.  
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

SEEPZ-SEZ/EMS/All. Of Qtrs./86/2014-15/Vol-II

Date: 25.05.2016

### Circular 03

The license fee for various types of accommodations in SEEPZ Staff Quarters are revised as under, in accordance with revised rate. Govt. of India, Ministry of Urban Development Directorate of Estates, New Delhi OM No. 18011/1/2013-Pol-III dated 21.11.2013.

Types of accommodation	Rate of license fee p.m.		Water charges
	w.e.f. 01.07.2010	w.e.f. 01.07.2013	
"A"	205	245	87
"B"	260	310	
"C"	380	450	
"D"	1100	1305	

Henceforth the license fees will stand revised automatically to the rates Directorate of Estates, Ministry of Urban Development as and when revised.

This issued with the approval of chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.

Vijai P. Shukla  
(Estate Manager)  
SEEPZ SEZ-Authority

To,

1. Allottees of SEEPZ Quarters
2. Allottees of other than SEEPZ
3. Account section of the Authority
4. Account Officer
5. Admin Section
6. Accounts officer, MIDC, Divn IV

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294729

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294725

फॅक्स Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल E-mail: dcseepz-mah@nic.in

वेबसाईट Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग

**परिपत्र संख्या 03**

सीपज़ स्टाफ क्वार्टरों में विभिन्न प्रकार के आवासों के लाइसेन्स फीस भारत सरकार, नगर विकास संपदा निदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 21.11.2013 के कार्यालय ज्ञापन 18011/1/2013-पीओएल-III की संशोधित दरों के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं:-

आवास का प्रकार	लाइसेन्स फीस की दरें		जल प्रभार
	दिनांक 01.7.2010 से प्रभावी	दिनांक 01.7.2013 से प्रभावी	
"क" (ए)	205	245	87
"ख" (बी)	260	310	
"घ" (सी)	380	450	
"ग" (डी)	1100	1305	

आगे से संपदा निदेशालय, नगर विकास मंत्रालय के लाइसेन्स फीस जब कभी संशोधित किए जाएंगे उसी दर से इन क्वार्टरों के लाइसेन्स फीस स्वतः संशोधित हो जाएंगे।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़ - प्राधिकरण

प्रति,

1. सीपज़ क्वार्टरों के आवंटिती
2. सीपज़ को छोड़कर अन्य आवंटिती
3. प्राधिकरण का लेखा अनुभाग
4. लेखा अधिकारी
5. प्रशासन अनुभाग
6. लेखा अधिकारी, एमआइडीसी, डिविज़न IV